हाई कोर्ट में केस का हवाला, डिस्टलरी ने मांगा समय

- कल तक प्रबंधन को पेश करना होगा प्रकरण का दस्तावेज
- भूजल दोहन का करीब 90 करोड़ रुपये होनी है वसूली

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कोटा विकासखंड के ग्राम छेरकाबांध स्थित वेलकम डिस्टलरी प्रबंधन पर भूमिगत जल दोहन 90 करोड़ रुपये बकाया है। रतनपुर तहसीलदार के नोटिस के बाद प्रबंधन ने हाई कोर्ट में प्रकरण पेंडिंग होने का हवाला दिया है। इस पर तहसीलदार ने कोर्ट से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए दो दिन की मोहलत दी है। मंगलवार तक दस्तावेज सौंपना होगा। संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में आगे कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

वेलकम डिस्टलरी की स्थापना 1993 में हुई थी। इसके बाद से यह लगातार संचालित हो रही है। फैक्ट्री प्रबंधन को भूमिगत जल दोहन के लिए जल संसाधन विभाग से एग्रीमेंट करना होता है। इसके लिए एक निश्चित राशि तय होती है। कायदे से 1998 से फैक्ट्री प्रबंधन ने जल संसाधन विभाग से एग्रीमेंट नहीं किया है। इस लिहाज से करीब 89 करोड़ रुपये बकाया निकलने की बात सामने आई है। बीते 27 सालों से लगातार भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। गौरतलब है कि फैक्ट्री प्रबंधन पर प्राकृतिक जल स्त्रोत को प्रदूषित करने और आसपास क्षेत्र के पर्यावरण को दूषित करने की शिकायत सामने आई है। इस संबंध में जांच चल रही है। नईदुनिया की खबर के बाद रतनपुर तहसीलदार शिल्पा भगत ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक पक्ष रखने के लिए कहा था। इसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन तहसीलदार के पास उपस्थित होकर बताया है कि जलकर मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इस लिहाज से वसूली नहीं की जा सकती है। इस पर तहसीलदार ने हाई कोर्ट से जुड़े दस्तावेज मंगलवार तक पेश करने के निर्देश दिए हैं।

नईदुनिया लगातार

वेलकम डिस्टलरी फैक्ट्री पर भूमिगत जल दोहन का करोड़ों रुपये बकाया

1998

प्रकाशित खबर।

वेलकम डिस्टलरी● फाइल फोटो

फैक्ट्री प्रबंधन को वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था। जवाब में उन्होंने कहा है कि यह मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस पर उन्हें मंगलवार तक कोर्ट से जुड़े दस्तावेज देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

-नितिन तिवारी, एसडीएम कोटा

विधानसभा में उछला है मुद्दा

इस मामले को लेकर कोटा के कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था। इसमें उन्होंने वन मंत्री से सवाल पूछा था कि छेरकाबांधा में स्थित वेलकम डिस्टलरी बिना अनुमति व अनुबंध के जल दोहन किया जा रहा है। मामले में अब तक विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने नोटिस जारी होने की जानकारी दी थी।

फैक्ट्री पर प्रदूषण का चल रहा मामला

फैक्ट्री प्रबंधन पर बड़े पैमाने पर वन भूमि पर बने तालाब में स्लज छोड़े जाने से प्रदूषण बढ़ने और वन भूमि पर कब्जे की शिकायत मिलने पर कोटा एसडीएम नितिन तिवारी ने मामले की जांच कराई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में राजफाश हुआ है कि मंगला भैंसाझार से दो नालियां बनाकर पानी को एकत्र किया जा रहा है। खसरा नंबर 397/1 रकबा 39.397 हेक्टेयर, खसरा नंबर 763 रकबा 15.107 और खसरा नंबर 766 रकबा 18.081 शासकीय भूमि है। इस पर कब्जा कर अपशिष्ट को एकत्र किया जा रहा है। इसके बाद एसडीएम ने प्रबंधन को नोटिस जारी किया।